- 7.82. Milometer.— Every auto rickshaw shall be provided with suitable type of milometer to record total kilometer covered on the basis of which fare is paid and also a milometer of the type in which trip readings can be adjusted to zero or fare meter.
- 7.83. Horn.- Every auto rickshaw and tempo shall be fitted with a bulb horn.
- <sup>1</sup>[7.84. Overall length.- In case of Tempo the overall length of the Tempo shall not exceed 420.5 Cms.]
- 7.85. Colour.— The colour of the lower body and front portion excluding the border of wind screen shall be black and the rest portion including the border of wind screen shall be yellow.
- 7.86. Exemption by State Government.— The State Government, may, in public interest or for sufficient reasons, by notification in the Rajasthan Gazette, exempt to such extent as may be specified in the notification, any motor vehicle or class of motor vehicles from all or any of the provisions of the Rules contained in this Chapter for specified purposes or areas, if it is satisfied that such vehicle or vehicles can be used in a public place without any danger to public safety.
- 7.87. Exemption of road plant.— Nothing in rules 7.3, 7.5 and 7.34 shall be apply to road rollers and other machines specially constructed or adapted for the construction or maintenance of roads.

## CHAPTER VIII CONTROL OF TRAFFIC

- <sup>2</sup>[8.1. District Collector and District Magistrate to restrict speed, weight, etc.— District Collectors and District Magistrates in their respective Jurisdiction shall have the power.—
  - (i) to impose speed limits,
  - (ii) to impose limits on the laden weight or dimensions of motor vehicles, and to prohibit or restrict the use of motor vehicle generally or of a particular class or of trailers in a specified area or in respect of any road, and
  - (iii) to designate any road as a main road or to declare any area as parking area or parking place or to restrict vehicle to park in a specified area.]
- 8.2. Authorities empowered to erect traffic signals.— (1) The District Collector and District Magistrate shall be the authority authorised to cause or permit traffic signs to be placed or erected in any public place for the purpose of regulating motor vehicle traffic within their respective jurisdictions.
- (2) Any authority empowered to specify the maximum safe load for bridge or culvert or to close a public road or street may also for the purpose of exercising the said power erect the appropriate traffic signs.
- Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).
- 2. Subs. by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).

- 7.82. माइलोमीटर.— प्रत्येक ऑटो रिक्शा में उचित प्रकार का माइलोमीटर यात्रा के कुल किलोमीटर रिकार्ड करने के लिये होगा. जिसके आधार पर किराये का संदाय किया जाये, और एक ऐसे प्रकार का माइलोमीटर भी होगा, जिसमें ट्रिप की रीडिंग को शून्य या किराया—मीटर से समायोजित किया जा सके।
  - 7.83. होर्न. प्रत्येक ऑटो रिक्शा और टेम्पो में एक बल्ब होर्न लगाया जायेगा।
- <sup>1</sup>[7.84. समग्र लम्बाई.— टेम्पो के मामले में टेम्पो की समग्र लम्बाई 420.5 से.मी. से अधिक नहीं होगी।
- 7.85. रंग.— नीचे की बॉडी और सामने के भाग, विन्ड रक़ीन के बार्डर को छोड़ते हुए, का रंग काला होगा और विन्ड स्क्रीन के बार्डर सहित शेष भाग का रंग पीला होगा।
- 7.86. राज्य सरकार द्वारा छूट.— राज्य सरकार लोकहित में या पर्याप्त कारणों से राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सीमा तक जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी मोटरयान या मोटर यानों की श्रेणी को इस अध्याय में वर्णित नियमों के सब या कोई उपबंधों से विनिर्दिष्ट प्रयोजनों या क्षेत्रों के लिये छूट दे सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि यान या यानों को, लोक—सुरक्षा को किसी खतरे के बिना, सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है।
- 7.87. सडक के संयंत्रों को छूट.— नियम 7.3, 7.5 और 7.34 की कोई भी बात रोड रोलरों और अन्य मशीनों को लागू नहीं होगी, जो सडकों के निर्माण या संधारण के लिये विशेष रूप से निर्मित या अनुकूलित किये गये हैं।

## अध्याय---8

## यातायात का नियंत्रण

- <sup>2</sup>[8.1 जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गति, वजन इत्यादि पर निर्बन्धन.— जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर:—
  - गति सीमाएं अधिरोपित करने.
  - (ii) मोटर यानों के लदान, भार या आकारों पर सीमाएं अधिरोपित करने और मोटर यानों के सामान्यतः अथवा किसी वर्ग विशेष के या ट्रेलरों के उपयोग को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा किसी भी सड़क के सम्बन्ध में प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने, और
  - (iii) किसी भी सड़क को मुख्य सड़क के रूप में अभिहित करने या किसी भी क्षेत्र को पार्किंग क्षेत्र या पार्किंग स्थल के रूप में घोषित करने या वाहनों को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में खड़ा करने से निर्वन्धित की शक्ति प्राप्त होगी।
- 8.2. यातायात-संकेतक खड़े करने के लिये सशक्त प्राधिकारी.— (1) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपनी सम्बन्धित अधिकारिता में मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक स्थान में यातायात संकेतक लगाने या खड़े करने या ऐसा करने की अनुमित देने के लिये प्राधिकृत प्राधिकारी होंगे।
- (2) कोई प्राधिकारी, जो पुल या रपट के लिये अधिकतम सुरक्षित लदान विनिर्दिष्ट करने या किसी सार्वजनिक मार्ग या गली को बन्द करने के लिये प्राधिकृत है, वह उक्त शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिये यथोचित यातायात संकेतक भी खड़े करवा सकेगा।
- जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).
- 2. जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- 8.3. Weighing for vehicles.— (1) Any officer referred to in sub-rule (2) may if he has reason to believe that a goods vehicle is being used in contravention of any laden weight restriction imposed by competent authority, require the driver to convey the vehicle to a weighing device, of any within a distance of ten kilometer from any point on the forward route or within a distance of twenty kilometer from the destination of the vehicle, for weighting, direct the driver to convey the vehicle to a suitable place to be specified in the notice and he may by order in writing, direct the driver to off load the excess weights at his own risk and not to remove the vehicle from that place until the laden weight axle weight has been reduced so that it complies with such restrictions. <sup>1</sup>[The weighing charges shall be borne by vehicle owner/in charge.]
- <sup>2</sup>[(2) Transport Officer not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector is authorised to require the weighing of goods vehicles and trailers.]
- <sup>2</sup>[8.4. Officers empowered to demand production of registration certificate.—Transport Officer not below the rank of a Motor Vehicles Sub-Inspector are authorized to demand the production of the Certificate of Registration of any vehicle, and where the vehicle is a transport vehicle, the certificate of fitness also.
- 8.5. Officer empowered to demand Information.— Police Officers not below the rank of a Sub-Inspector are authorised to demand from the owner of a motor vehicle, the driver of which is accused of any offence under the Act all information regarding the name and address of and the licence held by the driver which is in his possession or could by reasonable diligence be ascertained by him.
- 8.6. Officers empowered to inspect vehicles involved in accident.— Transport Officers not below the rank of an Inspector of Motor Vehicles and Police Officers not below the rank of a Sub-Inspector are authorised to inspect any motor vehicle involved in an accident and for that purpose to enter at any reasonable time any premises where the vehicle may be to remove the vehicle for examination.
- 8.7. Vehicles abandoned on the road-removal and custody.— (1) If any motor vehicle is allowed to stand in any place other than a duly appointed parking place in such a way as to cause obstruction to traffic or danger to any person any Police Officer or any Officer of Motor Vehicle Department not below the rank of Motor Vehicle Inspector may:
  - forthwith cause the vehicle to be moved under its own power or otherwise to the nearest place where the vehicle will not cause any obstruction of danger,
  - (ii) unless it is moved to a position where it will not cause obstruction of danger, take all reasonable precautions to indicate the presence of the vehicle; and

<sup>1.</sup> Added by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).

<sup>2.</sup> Subs. by Ibid.

- 8.3. यानों को तुलवाना.— (1) उप—नियम (2) में वर्णित किसी अधिकारी के पास गदि विश्वास करने का कोई कारण है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाये गये किसी लदान भार सम्बन्धी निर्वधन का उल्लंघन करते हुए किसी मालयान का उपयोग किया जा रहा है, तो वह चालक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तुलवाने के लिये ऐसे किसी तोलन यन्त्र पर, कोई हो, ले जाये, जो आगे के मार्ग पर किसी स्थान से दस किलोमीटर की दूरी के अन्दर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अन्दर हो, और वह चालक को उस यान को नोटिस में वर्णित किसी स्थान पर ले जाने का निर्देश दे सकेगा और वह लिखत में आदेश द्वारा चालक को अधिक भार को अपनी जोखिम पर उतारने और यान को उस स्थान से तब तक नहीं हटाने का निर्देश दे सकेगा, जब तक कि लदान भार धुरी—भार ऐसे निर्वधनों की अनुपालना करते हुए कम न कर दिया गया हो। [तुलाई प्रभार यान के स्वामी/प्रभारी द्वारा वहन किया जायेगा।]
- े(2) मोटर यान उप-निरीक्षक की रैंक से अनिम्न परिवहन अधिकारी माल यानों और ट्रेलरों के तोले जाने की अपेक्षा करने के लिये प्राधिकृत है।
- <sup>2</sup>[8.4. रिजस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र के पेश किये जाने की मांग करने के लिये सशक्त अधिकारी—मोटर यान उप—िनरीक्षक की रैंक से अनिम्न परिवहन अधिकारी और उप—िनरीक्षक की रैंक से अनिम्न पुलिस अधिकारी किसी भी यान के रिजस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र के और जहां यान कोई परिवहन यान हो वहां उपयुक्तता प्रमाण—पत्र के पेश किये जाने की भी मांग करने के लिये प्राधिकृत है।]
- 8.5. सूचना मांगने के लिये सशक्त अधिकारी.— पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, मोटर यान के स्वामी से, जिसका चालक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, चालक के नाम, पते और उसके द्वारा धारित लाइसेंस से सम्बन्धित सब सूचनायें, जो उसके पास हैं या जो उसके द्वारा उचित श्रम से सुनिश्चित की जा सकती है, मांगने के लिये प्राधिकृत है।
- 8.6. दुर्घटना में अन्तर्वित यानों के निरीक्षण के लिये सशक्त अधिकारी.— परिवहन अधिकारी जो मोटर यान निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो और पुलिस अधिकारी, जो उप—िनरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, दुर्घटना में अन्तर्वित किसी मोटर यान का निरीक्षण करने के लिये और इस प्रयोजन के लिये किसी परिसर में जहां यान हो सकता है, किसी उचित समय पर प्रवेश करने और उस यान को परीक्षण करने के लिये हटाने के लिये प्राधिकृत है।
- 8.7. सड़क पर परित्यजित यानों को हटाना और उनकी अभिरक्षा.— (1) यदि किसी मोटर यान को सही रूप से निर्धारित खड़े रहने के स्थान के अलावा किसी स्थान पर इस प्रकार खड़ा कर दिया गया है कि यातायात को रुकावट या किसी व्यक्ति को खतरा कारित होता है, तो कोई पुलिस अधिकारी या मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी जो मोटरयान निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो:—
  - (i) उस यान को वह स्वयं की शक्ति के अधीन या अन्यथा निकट स्थान पर तुरन्त हटवा सकेगा, जहां वह यान कोई रुकावट या खतरा कारित नहीं करे,
  - (ii) जब तक इसे ऐसी स्थिति में नहीं हटा दिया जाता, जहां यह रुकावट या खतरा कारित न करे, वह सब उचित पूर्वावधानियां ले सकेगा, जो उस यान की उपस्थिति को बतायें, और

<sup>1.</sup> जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा जोडा गया।

<sup>2.</sup> उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित एवं लागू किया गया।

- (iii) if the vehicle has been stationary in on place for a continuous period of ten hours and adequate steps have not been taken for its repair or removal by the owner or his representative remove the vehicle and its contents to a place of safe custody.
- (2) Vehicles abandoned on the road. If a motor vehicle remains in any public place without a driver or the person incharge and Police Officer or Transport Officer has reason to believe that the vehicle is in danger of being damaged by reason of the absence of the driver or other person incharge such officer may take charge of the vehicle and remove it or cause it to be removed to any place or safe custody.

(3) Vehicles in parking place removal.— If a motor vehicle remains or has been stationary in a duly appointed parking place for a period exceeding that specified by competent authority in respect of the said place, or, if no such period has been specified for a period exceeding six hours, any Transport or Police Officer may remove the vehicle

to a place of safe custody.

(4) Payment of removal.- Notwithstanding any fine or penalty which may be imposed upon any person upon conviction for the contravention of the provisions of section 122 of the Act or of any regulations made by a competent authority in relation to the use of duly appointed parking places, the owner of the motor vehicle or his heirs or assigns shall be liable to make goods any expense incurred by any Transport or Police Officer in connection with the moving, lighting, watching or removal of a vehicle or its contents in accordance with sub-rules (1), (2) and (3) and any Transport Officer or Police Officer or any person into whose custody the vehicle until he has received payment accordingly and shall, upon receiving such payment give a receipt to the person making the payment.

8.8. Installation and use of Weighing Devices.- (1) A weighing device for the

purpose of section 114, may be-

- a weigh-bridge installed and maintained at any place by or under the order of the Govt. or a local Authority or a railway administration;
- a weigh-bridge installed and maintained by any person and certified by the Registering Authority to be weighing device for the purpose of the Act and these rules; or
- (iii) a portable wheel weigher of any kind approved by the (State) Government.

1[(1-A) For weighment of vehicle at the weighbridge, installed or maintained by or under the order of the State Government, such fee shall be charged as may be specified by the State Government from time to time.]

- (2) The driver of any goods vehicle shall upon demand by a competent authority, not below the rank of Sub-Inspector of Motor Vehicles, driver and manipulate the vehicle so as to place it or any wheel or wheels thereof, as the case may be, upon any weigh bridge or wheel weigher in such a manner that the weight of the vehicle or the weight transmitted by any wheel or wheels may be exhibited by the weight bridge or wheel weigher.
- (3) If the driver of a motor vehicle fails within a reasonable time to comply with a requisition under sub-rule (2), an officer not below the rank of Inspector of Motor vehicles may cause any person, being the holder of a licence, authorising him to drive the vehicle, so to drive and manipulate the vehicle.

Ins. by Noti. No. F. 7(273)/Pari/Rules/H.Q./2007, G.S.R. 92, dated 1.2.2008 (Pub. in Raj. Gaz. Ex-ord., Part 4(Ga)(I), dated 1.2.2008).

- (iii) यदि कोई यान किसी एक स्थान पर दस घण्टों की लगातार अवधि के लिये खड़ा रहे और स्वामी द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी मरम्मत या हटाने के लिये कोई उचित कदम नहीं उठाये जायें, तो वह यान और उसके सामान को सुरक्षित अभिरक्षा के स्थान पर हटा सकेगा।
- (2) सड़क पर परित्यजित यान.— यदि कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान में बिना चालक या भारसाधक व्यक्ति के रहता है, और किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण यान को नुकसान हो जाने के खतरे में है, तो ऐसा अधिकारी उस यान का प्रभार ग्रहण करेगा और उसे सुरक्षित अभिरक्षा के किसी स्थान पर हटा सकेगा या हटवा सकेगा।

(3) पार्किंग स्थान से यानों को हटाना.— यदि कोई मोटर यान किसी सम्यक्तः निर्धारित पार्किंग स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस स्थान के बारे में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक के लिये खड़ा रहता है, या यदि ऐसी कोई अवधि विनिर्दिष्ट न हो, तो छह घण्टे से अधिक की अवधि के लिये खड़ा रहता है, तो कोई परिवहन या पुलिस अधिकारी उस यान को सुरक्षित अभिरक्षा के स्थान पर हटा सकेगा।

- (4) हटाने का संदाय— ऐसे किसी जुर्माने या शास्ति के होते हुए भी जो अधिनयम की धारा 122 के उपबन्धों या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये सम्यक्तः निर्धारित पार्किंग—स्थान के उपयोग से सम्बन्धित किसी विनियम का उल्लंघन करने के लिये सिद्धदोष हो जाने पर किसी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, मोटर यान का स्वामी या उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशी उप—नियम (1) (2) और (3) के अनुसार यान को चलाने, लाइटें जलाने, चौकसी करने या हटाने के बारे में किसी परिवहन या पुलिस अधिकारी द्वारा किये गये किसी व्यय के लिये दायी होगा और वह परिवहन अधिकारी या पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में यान को ऐसे अधिकारी द्वारा सौंपा गया है, उस यान को तब तक रोके रखने के लिये अधिकृत होगा, जब तक उसे ज़दनुसार संदाय प्राप्त नहीं हो जाता और ऐसा संदाय प्राप्त करने पर वह संदाय करने वाले व्यक्ति को रसीद देगा।
  - 8.8. तोलन यन्त्र की स्थापना और उपयोग.— (1) धारा 114 के प्रयोजनार्थ तोलन यन्त्र—
  - (i) कोई तोलन-पुल हो सकेगा, जो किसी स्थान पर सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या रेलवे-प्रशासन के आदेश से या उसके अधीन स्थापित और संधारित किया गया हो;
  - (ii) कोई तोलन-पुल हो सकेगा, जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित और संघारित किया गया हो और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनार्थ तोलन-यन्त्र होना प्रमाणित किया गया हो; या
  - (iii) (राज्य) सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार का वहनीय पहियेदार तोलक।

\*[(1क) यान को तोलने के लिये स्थापित या संधारित या राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत स्थापित तोलन-पुल पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस ली जायेगी।]

- (2) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जो मोटर यानों के उप—िनिरक्षक की क्षेणी से नीचे का न हो, मांग की जाने पर किसी मालयान का चालक उस यान को चलायेगा और चतुरतापूर्वक उसका इस प्रकार संचालन करेगा कि इसे या इसके पिहये या पिहयों को, यथास्थिति, किसी तोलन पुल या व्हील वेटर पर इस प्रकार रखे कि यान का वजन या किसी पिहये द्वारा संप्रेषित वजन तोलन—पुल या व्हील वेटर द्वारा प्रदर्शित किया जा सके।
- (3) यदि मोटर यान का चालक उप—िनयम (2) के अधीन अपेक्षा की अनुपालना उचित समय के भीतर करने में असफल रहता है, तो कोई अधिकारी, जो मोटर यान—िनिरक्षक की क्षेणी से नीचे का न हो, किसी व्यक्ति से जिसके पास यान को चलाने के लिये प्राधिकृत करते हुए लाइसेंस हो, उस यान को चलवा सकेगा और संचालन करवा सकेगा।

अधि.सं. एफ. 7(273) / परि. / नियम / मुख्या. / 2007, जी.एस.आर. 92, दिनांक 1.2.2008 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1), दिनांक 1.2.2008 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

- (4) When the weight or axle weight of a motor vehicle is determined by separate and independent determination of the weight transmitted by any wheel or wheels of the vehicles, the axle weight and the laden weight of the vehicle shall be deemed to be the sum of the weight transmitted by the wheels of any axle or by all the wheels of the vehicle, as the case may be.
- (5) Upon the weighment of a vehicle in accordance with section 114 and the rule, the person who has required the weighment or the person who has required to the weighment or the person in charge of the weighing device shall deliver to the driver or other person in charge of the vehicle a statement in writing of the weight of the vehicle and of any axle, the weight of which is separately determined.
- (6) The driver or other person in charge of, or the owner of a vehicle which has been so weighed may challenge the accuracy of the weighing device, by a statement in writing accompanied by a deposit of twenty rupees delivered:—
  - (i) within the one hour of the receipt of the statement referred to in subrule (5), to the person by whom the statement was delivered to him; or
  - (ii) within fourteen days of the service on him of notice of proceedings against him under section 113, to the court issuing such notice.
- (7) Upon receipt of a statement challenging the accuracy of weighing device under sub-rule (6) the person or the court by whom the statement is received shall write to the Registering Authority, for the weighing device to be tested, by an Inspector of Weights and Measures and the certificate of such Inspector regarding the accuracy of the weighing device shall be final.
- (8) If, upon the testing of a weighing device under sub-rule (7), the weighing device is certified to be accurate or to be inaccurate to an extent less than any weight by which the laden weight or unladen weight of the vehicle is shown in the statement referred to in sub-rule (5) to have exceeded the registered unladen weight, as the case may be, a contravention of sub-section 113 shall be deemed to have been proved.
- (9) If, upon the testing of a weighing device as aforesaid greater than any weight by which the laden weight or unladen weight of the vehicle is shown in the statement referred to in sub-rule (5) to have exceeded the registered laden weight or the registered unladen weight, as the case may be, no further proceedings shall be taken in respect of any such laden weight or unladen weight. If the device is certified to be inaccurate to the said extent in respect of every such laden weight or unladen weight or unladen weight actually weighed, the deposit prescribed in sub-rule (6) shall be refunded.
- (10) No person shall, by reason of having challenged the accuracy of any weighing device under sub-rule (6) be entitled to refuse to comply with any order in writing under section 114.
- 8.9. Ghat Roads-restriction on driving with gear disengaged.— On any ghat road and elsewhere on any hill, marked by traffic sign, No. C-8 and C-9 of Schedule to the Act, no person shall drive any motor vehicle with the engine free, that is to say, with the gear level in neutral, the clutch lever depressed or with any free wheel or other device in operation which frees the engine from the driving wheels and prevents the engine from acting as a brake when the vehicle is travelling down or an incline.

- (4) जब किसी मोटर यान का वजन या धुरी वजन यान के किसी पहिये या पहियों द्वारा संप्रेषित वजन के अलग और स्वतंत्र निर्धारण द्वारा निर्धारित है, तो उस यान की धुरी के पहियों द्वारा या यान के सभी पहियों द्वारा, यथास्थिति, संप्रेषित वजनों के योग को उस यान का धुरी—वजन और लदान सहित वजन समझा जावेगा।
- (5) धारा 114 और इस नियम के अनुसार किसी यान के तोले जाने पर, वह व्यक्ति जिसने तोल कराना चाहा है या तोलन-यन्त्र का प्रभारी व्यक्ति यान के चालक या अन्य भार साधक व्यक्ति को यान के वजन और किसी धुरी के वजन का, जिसका वजन अलग से लिया गया है, एक विवरण लिखित में देगा।
- (6) इस प्रकार तोले गये यान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति या स्वामी तोलन-यन्त्र के सही होने को एक लिखित बयान के साथ बीस रुपये का निक्षेप देकर निम्नलिखित रूप में चुनौती दे सकेगा:-
  - (i) उप—नियम (5) में वर्णित विवरण के प्राप्त होने के एक घण्टे के भीतर, उस व्यक्ति को,
     जिसके द्वारा उसे विवरण दिया गया था; या
  - (ii) धारा 113 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही का नोटिस तामील हो जाने के चौदह दिनों के भीतर, ऐसा नोटिस जारी करने वाले न्यायालय को।
- (7) उप-नियम (6) के अधीन तोलन-यन्त्र के सही तोल को चुनौती देते हुए दिये गये विवरण की प्राप्ति पर, वह व्यक्ति या न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा विवरण प्राप्त किया गया है, रजिस्ट्रीकर्ता-प्राधिकारी को बाट और माप निरिक्षक द्वारा तोलन-यन्त्र का परीक्षण करवाने के लिये लिखेगा। तोलन-यन्त्र के सही तोल देने वाला होने के बारे में ऐसे निरीक्षक का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।
- (8) यदि उप—िनयम (7) के अधीन तोलन—यन्त्र के परीक्षण पर, तोलन—यन्त्र को सही या इस सीमा तक गलत प्रमाणित कर दिया गया है, कि वह अन्तर उस वजन से कम है, जो उप—िनयम (5) में वर्णित विवरण में दिखाए गये उस यान के लदान सिहत वजन या लदान रहित वजन से रिजस्ट्रीकृत लदान सिहत वजन से या रिजस्ट्रीकृत लदान रिहत वजन से, यथास्थिति, अधिक हो गया है, तो इसे धारा 113 का उल्लंधन साबित होना समझा जायेगा।
- (9) यदि तोलन—यन्त्र के उपर्युक्त प्रकार से परीक्षण पर तोलन—यन्त्र इस सीमा तक गलत पाया गया कि वह अन्तर उस वजन से अधिक है, जो उप—िनयम (5) में वर्णित विवरण में दिखाए गये उस यान के लदान सिहत वजन या लदान रिहत वजन से रिजस्ट्रीकृत लदान सिहत वजन से या रिजस्ट्रीकृत लदान रिहत वजन से, यथास्थिति, अधिक हो गया है, तो ऐसे लदान सिहत वजन या लदान रिहत वजन के बारे में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि तोलन—यन्त्र द्वारा वास्तव में तोले गये प्रत्येक ऐसे लदान सिहत वजन या लदान रिहत वजन उक्त सीमा तक गलत होना प्रमाणित किया गया है, तो उप—िनयम (6) में विहित जमा राशि वापस कर दी जायेगी।
- (10) कोई व्यक्ति, इस आधार पर कि उप-नियम (6) के अधीन किसी तोलन यन्त्र के सही या त्रुटिहीन होने को चुनौती दी गई है, धारा 114 के अधीन लिखित में दिये गये किसी आदेश की अनुपालना करने से मना करने का हकदार नहीं होगा।
- 8.9. घाट-सड़क-बिना गियर लगाये यान चलाने पर निर्बंधन.— किसी घाट की सड़क पर और अन्यत्र किसी पहाड़ी पर, जिसे यातायात संकेतक, अधिनियम की अनुसूची की सं. C-8 और C-9 द्वारा चिन्हित किया गया हो, कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को इन्जिन से स्वतन्त्र करके नहीं चलायेगा, अर्थात् गेयर लेवल नकारात्मक में हो, क्लच लीवर दबाया गया हो या किसी फ्री व्हील या कोई अन्य युक्ति, जो इन्जिन को चालन—पहियों से मुक्त कर दे और इन्जिन को ब्रेक के रूप में काम करने से रोकती हो, जब यान किसी ढाल पर नीचे की ओर यात्रा कर रहा हो।

Explanation.— "Ghat or Hill" means a road notified in the Rajasthan Gazette as such by the Government and indicated by a notice board effected at each end of such road.

- 8.10. Prohibition of mounting or dismounting when vehicle is in motion.—
  (1) No person shall mount or attempt to mount on, or dismount from any motor vehicle, other than a motor cycle when the motor vehicle is in motion, not shall the driver or person incharge of such vehicle, permit any person to do so.
- (2) Prohibition of taking hold of vehicle in motion.— No person shall take hold of, and no driver of a motor vehicle shall cause or allow any person to take hold of, any motor vehicle when in motion for the purpose of being towed or drawn upon some other wheeled vehicle or otherwise.
- 8.11. Towing.— (1) No vehicle other than mechanically disabled or incompletely assembled motor vehicle, a registered trailer or a side car shall be drawn or towed by any motor vehicle.
- (2) Licensed driver to be in drawn vehicle.— No motor vehicle shall be drawn or towed by any other motor vehicle unless there is in the drivers, seat of the motor vehicle being drawn or towed a person holding a licence authorising him to drive the vehicle or unless steering wheel of the motor vehicle being towed is firmly and securely supported clear or the road surface by some crane or other device on the vehicle which is drawing or towing it.
- (3) "On tow" to be displayed.— When a motor vehicle is being towed by another motor vehicle, the clear distance between the rear of the front vehicle and the front of the rear vehicle shall at no time exceed 5 meters, steps shall be taken to render the two rope or chain easily distinguishable by other users of the road, and there shall be clearly displayed on the rear of the vehicle being towed in black letters not less than seventy five millimeter high and on a white back ground the words "On tow", provided that no person shall be liable to be convicted for the contravention of the rule for failure to display the words "O.1 Tow" if the motor vehicle which is towing the other is not a motor vehicle adapted and ordinarily used for the purpose and so long as the vehicle is being towed between the place of the breakdown and the nearest place on the route at which the necessary materials can be obtained.
- (4) Speed of towing vehicles.— No motor vehicle when towing another vehicle other than a trailer or side car shall be driven at a speed exceeding 20 km. Per hours.
- 8.12. Driving of tractors on Roads.— (1) No tractor, when fitted for being driven on a public road shall be driven on such Road at a speed exceeding ten kilometers per hour and no such tractor shall take sharp turns on such road:

Provided that, if such tractor be a crowler tractor, it shall not be driven on an asphalt road between 9.00 A.M. to 9.00 P.M.

(2) Every such tractor, when driven on a metalled road, shall be driven as far as possible on the side stripes of such road.

रपष्टीकरण— "घाट या पहाड़ी" से राजस्थान राजपत्र में सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित और सड़क के प्रत्येक सिरे पर लगाये गये सूचना पट्ट द्वारा उपदर्शित कोई सड़क अभिप्रेत है।

- 8.10. उतरने या चढने का प्रतिषेध, जब यान गतिशील हो.— (1) कोई व्यक्ति, मोटरसाइकिल के अतिरिक्त किसी मोटर यान पर न तो चढ़ेगा या न चढ़ने का प्रयत्न करेगा, या न उससे उतरेगा, जब वह मोटर यान गतिशील हो, न ही ऐसे यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देगा।
- (2) पतिशील यान को पकड़ने का प्रतिषेध— किसी मोटर यान को, न तो कोई व्यक्ति पकड़ेगा और न किसी मोटर यान का कोई चालक किसी व्यक्ति से पकड़वायेगा या उसे पकड़ने की अनुमति देगा, जब वह यान किसी पहियेदार यान या अन्यथा पर खेंचे जाने या रस्सी या जंजीर से बांधकर खेंचे जाने के प्रयोजन से गतिशील हो।
- 8.11. खींचना.— (1) मैकेनिकल रूप से खराब हुए या अधूरे जोड़े गये मोटर यान किसी रिजस्ट्रीकृत ट्रेलर या किसी साइड कार से मिन्न कोई मोटर यान किसी दूसरे मोटर यान द्वारा न खींचा जायेगा या न उसे रस्सी या जंजीर से बांधकर ढोया जायेगा।
- (2) खींचे जाने याले यान में लाइसेंस शुदा चालक— कोई मोटर यान किसी दूसरे मोटर यान से खेंचा या ढोया नहीं जायेगा, जब तक खींचे या ढोये जाने वाले यान के चालक की सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके पास यान चलाने के लिये अधिकृत करते हुए लाइसेंस हो, या ढोये जा रहे मोटर यान के स्टियरिंग व्हील को खेंच रहे या ढो रहे यान पर लगी किसी क्रेन या अन्य युक्ति से स्पष्ट सहारा स्थिर रूप से और मजबूती से नहीं दे दिया गया हो।
- (3) "खीचा जा रहा" प्रदर्शित करना— जब कोई मोटर यान किसी दूसरे मोटर यान द्वारा खेंचा या ढोया जा रहा हो, तो अगले यान की पीठ और पिछली यान के अगले माग के बीच की स्पष्ट दूरी किसी भी समय पांच मीटर से अधिक नहीं होगी। दो रिस्सियों या जंजीर को सड़क का उपयोग करने वाले अन्यों द्वारा आसानी से पहचाने जाने के लिये कदम उठाये जायेंगे और खींचे जाने वाले यान के पीछे शब्द "खींचा जा रहा है" सफेद पृष्ठभूमि पर कम से कम पचहत्तर मिलीमीटर ऊंचे काले अक्षरों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे। परन्तु शब्द "खींचा जा रहा है" प्रदर्शन करने में असफलता के लिये इस नियम के उल्लंघन के लिये कोई व्यक्ति सिद्ध दोष होने का दायी नहीं होगा, यदि मोटर यान जो दूसरे को खींच रहा है, वह मोटर यान नहीं है, जिसे इस प्रयोजन के लिये अनुकूलित या साधारणतया प्रयुक्त किया जाता हो और जहां तक यान को खराब होने के स्थान से मार्ग पर किसी निकटतम स्थान पर खेंचा जा रहा है, जिस पर आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सकती हो।
- (4) खेंचने वाले यान की गति— कोई मोटर यान जब किसी दूसरे यान को जो ट्रेलर या साइड कार से भिन्न है, खेंच रहा है, तो उसे 20 किलोमीटर प्रति घटा से अधिक गति से नहीं चलाया जायेगा।
- 8.12. सड़कों पर ट्रैक्टरों को चलाना.— (1) कोई ट्रैक्टर, जब सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने के लिये उपयुक्त हो, तो ऐसी सड़क पर दस किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर नहीं चलाया जायेगा और कोई ऐसा ट्रैक्टर ऐसी सड़क पर तेज मोड़ नहीं लेगा:

परन्तु यदि ऐसा ट्रैक्टर चेनदार ट्रैक्टर है, तो इसे प्रातः 9 बजे से सांय 9 बजे के बीच में पक्की सड़क पर नहीं चलाया जायेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा ट्रैक्टर, जब किसी पक्की सड़क पर चलाया जाये, तो यथासम्भव ऐसी सड़क की साइड की पटरी पर चलाया जायेगा।

- 8.13. Footpaths, cycle bracks and traffic segregation.— Where any road or street is provided with footpaths or tracks reserved for cycles or specified classes of other traffic, no person shall, save with the sanction of a Police Officer in uniform, drive any motor vehicle or cause or allow any motor vehicles to be driven on any such footpath or track.
- 8.14. Projection of Loads.— (1) Nothing shall be placed or carried upon the outside of the roof of a double decked service vehicles.
- (2) No person shall drive, and no person shall cause, or allow to be driven, in any place (public) any motor vehicle which is loaded in manner likely to cause danger to any person or in such a manner that the road or any part thereof or anything extends:-
  - (i) laterally beyond the side of the body or beyond a vertical plane in prolongation of the side of the body.
  - (ii) to the front beyond the foremost part of the load body of the vehicle.
  - (iii) to the rear beyond the rearmost part of the vehicle excluding any luggage carrier.
  - (iv) In height by a distance which exceeds 3.66 meters in case of a goods vehicle and 3.4 meters in case of any other motor vehicle from the surface upon which the motor vehicle rests.
- (3) Clause (iii) of sub-rule (2) shall not apply to a goods motor vehicle when loaded with any pole or other projecting thing so long as,-
  - (i) the projecting load falls within the limit of the body of a trailer being drawn by the goods vehicles or;
  - (ii) the distance by which the pole or other thing projects beyond the rearmos point of the motor vehicle does not exceed 1.85 meters; and
  - (iii) there is attached to the rear of such pole or other thing in such a way as to be clearly visible from the rear at all times a white circular disc of not less than 38 centimeters in diameter; and during the period commencing half an hour after sunset and ending half an hour before sunrise, a lamp in addition to the prescribed lamps on the vehicle so arranged as to show a red light to the rear, and also a circular disc of not less than 38 centimeters in diameter painted in retro reflected red colour so that the same will be illuminated in the light of the vehicle approaching from the rear.
- (4) Transport Commissioner may, by order in writing, exempt any moto vehicle, for such purpose, for such period and subject to such conditions as maspecify, from any or all of the provisions of this rule on applications submitted in From R.S. 8.1.
- (5) The registered owner of the vehicle may apply for exemption to the Transport Commissioner of State by him in whose jurisdiction the motor vehicle will start journey in the State or enter the State and shall obtain the exemption under sub-rule (4) prior to the entry in the State.
- (6) While granting exemption under sub-rules (4) & (5), the Transport Commissioner shall consult the authority of the Public Works Department and the State Traffic Police and only if satisfied such exemption will not cause and danger to any bridge or obstruction to traffic or danger to other vehicles or passenger Travelling in other vehicles, shall grant such exemption.

8.13. फुटपाथों, साइकिल-ट्रेकों और यातायात का अलग-अलग रहना.— जहां किसी सड़क या गली के साथ फुटपाथ या साइकिलों के लिये किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के अन्य यातायात के लिये कोई मार्ग आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है तो कोई व्यक्ति, वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की स्वीकृति को छोड़कर, किसी मोटर यान को ऐसे फुटपाथ या मार्ग पर नहीं चलायेगा या न चलवायेगा या न चलाने की अनुमति देगा।

8.14. लदान का बाहर लटकना.— (1) किसी दो मंजिले सेवा यान की छत के बाहर के भाग

के ऊपर कोई वस्तु नहीं रखी या ले जाई जायेगी।

(2) किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति नहीं चलायेगा और कोई व्यक्ति न तो चलवायेगा या न ऐसे चलाने की अनुमति देगा, जो यान इस प्रकार से लादा गया है कि उससे किसी व्यक्ति को खतरा कारित होने की सम्भावना है या इस प्रकार से कि लदान या उसका कोई भाग या कोई चीज निम्नलिखित रूप से बाहर निकलती है:-

- बॉडी की साइड के बाहर सीधा या समतल के साथ-साथ बॉडी की साइड को बढ़ाते हुए।
- सामने की ओर यान की लदान वाली बॉडी के अगले अंतिम भाग से बाहर।
- (iii) पीछे की ओर यान के पिछले अन्तिम भाग के, किसी लगेज कैरियर को छोड़ते हुए, बाहर की ओर।
- (iv) ऊंचाई में उस धरातल से जिस पर वह मोटर यान खड़ा है, माल यान की दशा में 3.66 मीटर से और किसी अन्य मोटर यान की दशा में 3.4 मीटर से अधिक दूरी से।
- (3) उप-नियम (2) का खण्ड (iii) किसी माल मोटर यान को लागू नहीं होगा, जब वह किसी खम्भे या अन्य बाहर निकली चीजं से लदा है, जहां तक कि-
  - बाहर निकला लदान माल यान द्वारा खेंचे जा रहे ट्रेलर की बॉडी की सीमा के भीतर रहता

वह दूरी, जिससे पोल या अन्य चीज मोटर यान के सबसे पिछले भाग के बाहर निकल रहे है, 1.85 मीटर से अधिक नहीं है; और

- ऐसे पोल या अन्य चीज के पिछले भाग पर एक सफेद गोलाकार डिस्क लगाई गई है, जो 38 सेन्टीमीटर से कम व्यास की नहीं है और यान पर विहित लैम्पों के अलावा एक लैम्प सूर्यास्त के आधा घण्टा बाद से सूर्योंदय के आधा घण्टा पहले तक के बीच की अवधि के दौरान, इस प्रकार लगा जायेगा कि वह पीछे की ओर लाल प्रकाश दिखाये और एक गोलाकार डिस्क भी लगायी जाये, जो 38 से.मी. से कम व्यास की न हो और जिस पर चमकीला लाल रंग पोता गया हो ताकि वह पीछे से आने वाले यान के प्रकाश से चमके।
- (4) प्ररूप आर.एस. 8.1 में आवेदन करने पर, परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा इस नियम के किसी या सभी उपबन्धों से किसी मोटर यान को ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विनिर्दिष्ट की जायें, छूट दे सकेगा।

(5) किसी यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी राज्य परिवहन-आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता में वह मोटर यान राज्य में यात्रा आरम्भ करेगा या राज्य में प्रवेश करेगा, छूट के लिये आवेदन कर सकेगा

और राज्य में प्रवेश करने से पहले उप-नियम (4) के अधीन छूट प्राप्त करेगा।

(6) उप-नियम (4) और (5) के अधीन छूट की स्वीकृति देते समय परिवहन आयुक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्राधिकारी और राज्य यातायात पुलिस से परामर्श करेगा और जब उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी छूट से किसी पुल को कोई खतरा या यातायात को रुकावट या अन्य यानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई खतरा कारित नहीं होगा, केवल तभी वह ऐसी छूट देगा।

- (7) Such exemption under sub-rule (4) or (5) shall be granted in From R.S. 8.2 and copies thereof would be despatched to the registering authorities through whose jurisdiction the motor vehicle will travel.
- 8.15. Dangerous substances-Restrictions as to carriage of.— (1) Except for the fuel and lubricants necessary for the use of the vehicle, no explosive, highly inflammable otherwise dangerous substances, shall be carried in any public service vehicle unless it is so packed that even in the case of an accident to the vehicle it is unlikely to cause damage or injury to the vehicle or person carried thereon.
- (2) Authority to remove explosive from vehicle.— If in the opinion of any Transport Officer not below the rank of an Inspector, any Public Service Vehicle or any Motor Vehicle is at any time loaded in contravention of sub-rule (1) he may order the driver or other person in-charge of the vehicle to remove or repack the explosive or inflammable or otherwise dangerous substance and till such time shall not allow the public service vehicle or the motor vehicle to continue its journey.
- 8.16. Sound signals-restriction on use of.— (1) No driver of a motor vehicle shall sound the horn or other device for giving audible warning, with which the motor vehicle is equipped, or shall cause or allow any other person to do so, to an extent beyond that which is reasonably necessary to ensure safety.
- (2) Authority to prohibit sound signals.— The Transport Commissioner or the District Magistrate may by notification in the Rajasthan Gazette and by the erection in suitable place of traffic sign No. M 18 as set forth in Schedule to the Act, prohibit the use of any horn, ioning or other device on a motor vehicle for giving audible warning within such locality and during such hours, as may be specified in the notification:

Provided that when the Transport Commissioner or the District Magistrate, as the case may be, prohibits the use of any horn, ioning or other device for giving audible warning during certain specified hours, he shall cause a suitable notice setting forth the hours within which such use is so prohibited to be affixed below the traffic signs.

- 8.17. Cut outs-Prohibition of.— No driver of a motor vehicle shall in any public place make use of any cut out or other device by means of which the exhaust gases of the engine are released, save through the silencer.
- 8.18. Dazzling lights-restriction of.— (1) The driver of a motor vehicle shall at all times when the lights of the motor vehicle are in use so manipulate them that danger or undue inconvenience is not caused to any person by dazzle, shall not use the mercury or any bulb which gives dazzling light.
- (2) The Transport Commissioner or the District Magistrate may by notification in the Rajasthan Gazette and by the erection of suitable notice in English and Hindi prohibit the use, within such areas or in such places, as may be specified in the notification, of direct head lights.

- (7) उप-नियम (4) या (5) के अधीन ऐसी छूट प्ररूप आर.एस. 8.2 में दी जायेगी और उसकी प्रतियां उस रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसकी अधिकारिता में से होकर वह मोटर यान यात्रा करेगा।
- 8.15. खतरनाक पदार्थ ले जाने पर निर्बंधन.— (1) यान के उपयोग के लिये आवश्यक ईंधन और स्नेहक के अलावा, कोई विस्फोटक, उच्च रूप से ज्वलनशील, अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान पर नहीं ले जाया जायेगा, जब तक कि उसे इस प्रकार से नहीं बांधा गया हो कि यान कि दुर्घटना हो जाने पर, इससे यान या उसमें ले जाये गये व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति कारित होने की सम्भावना नहीं हो।
- (2) यान से विस्फोटक को हटाने वाला प्राधिकारी— यदि कोई परिवहन अधिकारी जो मोटर यान निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या पुलिस अधिकारी जो उप—िनरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, का यह अभिमत हो कि किसी सार्वजिनक सेवा यान या किसी मोटर यान को उप—िनयम (1) के उल्लंघन में लादा गया हो, तो वह चालक या यान के भारसाधक अन्य व्यक्ति को उस विस्फोटक या ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ को हटाने या वापस पैक करने का आदेश दे सकेगा और उस समय तक उस सार्वजिनक सेवा यान या मोटर यान को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमित नहीं देगा।
- 8.16. ध्वनि-संकेतों के प्रयोग पर निर्बंधन.— (1) मोटर यान का कोई चालक होर्न या अन्य युक्ति जो सुनाई देने वाली चेतावनी देने के लिये मोटर यान पर लगाई गयी है, उस सीमा से अधिक जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये उचित रूप से आवश्यक है, न तो बजायेगा या न बजवायेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देगा।
- (2) ध्विन संकेतो का निषेधकर्ता प्राधिकारी— परिवहन आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान—राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और अधिनियम की अनुसूची में दिये गये यातायात संकेतक स. एम. 18 को समुचित स्थानों पर खड़ा करके, किसी हॉर्न, आयोनिंग या अन्य युक्ति का, मोटर यान पर सुनाई देने वाली चेतावनी देने के लिये ऐसे क्षेत्र और ऐसे घण्टों के दौरान, जैसा अधिसूचना में बताया जाये, प्रयोग करने से मना कर सकेगाः

परन्तु जब परिवहन आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति कुछ विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान सुनाई देने वाली चेतावनी देने के लिये किसी होर्न, आयोनिंग या अन्य युक्ति के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करता है, तो वह यातायात सकेतक के नीचे एक उपयुक्त सूचना लगवायेगा जिस पर वे घंटें अंकित होंगे, जिनके दौरान प्रयोग इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया गया है।

- 8.17. कट-आउट का प्रतिषेध.— किसी मोटर यान का चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर साइलेंसर के माध्यम के अलावा, किसी कट आउट या अन्य युक्ति का, जिसके द्वारा इंजिन से निकलने वाली गैसों को छोड़ा जाता है, प्रयोग नहीं करेगा।
- 8.18. अत्यधिक प्रकाश वाली लाइटों पर निर्बंधन.— (1) मोटर यान का चालक, जब मोटर यान की लाइटें काम में आ रही हों, सदा उनका दक्षता से इस प्रकार संचालन करेगा कि किसी व्यक्ति को चकाचौंध से कोई खतरा या असम्यक् असुविधा कारित न हो और वह मरकरी या कोई बल्ब, जो चकाचौंध वाला प्रकाश देता है, काम में नहीं लेगा।
- (2) परिवहन आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना और अंग्रजी और हिन्दी में उपयुक्त सूचना लगवाकर, ऐसे क्षेत्रों के भीतर या ऐसे स्थानों में, जैसा अधिसूचना में दिया जाये, सीधी हैड लाइटों के प्रयोग प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

- 8.19. Restriction on Travelling Backwards.— No driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to travel backwards without first satisfying himself that he will not thereby cause danger or undue inconvenience to any person or in any circumstances, save in the case of a road roller, for any greater distance or period of time than may be reasonably necessary in order to time the vehicle round.
- 8.20. Use of lamps when a vehicle is at rest.— (1) If within the limits of any Municipality, a motor vehicle is at rest within the hours during which lights are required, at the left hand side of any road or street or elsewhere in any duly appointed parking place, it shall not be necessary for the motor vehicle to exhibit any light save as may be required generally or specifically by the District Magistrate.
- (3) Outside the limits of any, Municipality if a motor vehicle is at rest within the hours during which lights are required in such a position as not to cause danger or undue inconvenience to other users of the road, it will not be necessary for the motor vehicle to display any lights.
- 8.21. Visibility of lamps and registration marks.— (1) No load or other thing shall be placed on any motor vehicle so as at any time to mark or otherwise interrupt vision of any lamp, registration mark or other mark required to be carried by or exhibited on any motor vehicle by or under the provisions of the Act, unless a duplicate of the lamp or mark so marked or otherwise observed is exhibited in the manner required by or under the Act for the exhibition of the masked or obscured lamp or mark.
- (2) Registration and other marks to be kept in clear condition.— All registrations and other marks required to be exhibited on a motor vehicle by or under the provisions of the Act, shall at all times be maintained as far as may be reasonably possible in a clear and legible condition.
- **8.22. Driving mirror obscuring of.** No person driving or incharge of a motor vehicle shall—
  - (i) permit any person to stand or sit, or
  - (ii) place or permit any thing to be placed, in such a manner or position as to obscure the driver's vision either directly or rear-ward by the mirror referred to in rule 7.3.

Provided that clause (ii) shall not apply to a vehicle fitted with blind on the rear window when this blind is used during night time.

- 8.23. Duty to comply with traffic control signals.— (1) Every driver of a motor vehicle shall, when driving the vehicle in a public place comply with any traffic control signal given to him by any Police Officer in uniform for the time being engaged in the regulation of traffic in such public place.
- (2) In this rule "Traffic Control Signed" means traffic control signal as illustrated in Form R.S. 8.3. to these rules.

- 8.19. पीछे की ओर यात्रा करने पर निर्बंधन.— रोड़ रोलर को छोड़कर, मोटर यान का कोई किसी यान को घुमाने के लिये उचित रूप से आवश्यक से अधिक दूरी या समय की अवधि के बान को पीछे की ओर, पहले अपना स्वयं का यह समाधान किये बिना नहीं चलायेगा कि वह उससे व्यक्ति को किन्हीं परिस्थितियों में कोई खतरा या असुविधा कारित नहीं करेगा।
- 8.20. बतियों का उपयोग जब यान विश्राम पर हो.— (1) यदि किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर, उन घण्टों के भीतर जिनमें लाइटें, अपेक्षित हैं कोई यान किसी सड़क या गली के बायें हाथ की ओर या अन्य स्थान पर सही तरीके से निर्धारित पार्किंग—स्थल में सड़क में विश्राम पर है, तो उस मोटर यान के लिये, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साधारणयता या विशेष रूप से अपेक्षित के अलावा, किसी लाइट को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होगा।
- (2) किसी नगरपालिका की सीमाओं के बाहर, यदि कोई मोटर यान उन घण्टों के दौरान विश्राम पर है, जिनमें लाइटों की ऐसी स्थिति में आवश्यकता है जिससे सड़क का उपयोग करने वाले अन्यों को कोई खतरा या अनुचित असुविधा कारित न हो, तो उस मोटर यान के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होगा।
- 8.21. बत्तियों और रजिस्ट्रीकरण-चिन्हों का दिखाई देना.— (1) कोई लदान या अन्य चीज किसी मोटर यान पर इस प्रकार नहीं रखी जायेगी कि उससे किसी समय किसी लैम्प, रजिस्ट्रीकरण—चिन्ह या अन्य चिन्ह जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या द्वारा किसी मोटर यान द्वारा ले जाने या उस पर प्रदर्शित करने के लिये अपेक्षित हो, के दृश्य को ढक दे या अन्यथा उसमें कोई रुकावट कर दे, जब तक कि उस ढके गये या दबे हुए लैम्प या चिन्ह के प्रदर्शन के लिये अधिनियम के अधीन या द्वारा चाहे गये तरीके से उसके डुप्लीकेट लेम्प या चिन्ह को प्रदर्शित न कर दिया गया हो।
- (2) रिजस्ट्रीकरण और अन्य चिन्हों को साफ दशा में रखा जाना— अधिनियम के अधीन या द्वारा किसी मोटर पर प्रदर्शित किये जाने अपेक्षित सभी रिजस्ट्रीकरण और अन्य चिन्हों को, जहां तक उचित रूप से संभव हो सके, सदा साफ और पठनीय दशा में रखा जायेगा।
- 8.22. चालक के दर्पण को रुकावट.— किसी मोटर यान को चलाने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति
  - (i) किसी व्यक्ति को खड़े रहने या बैठने, या
  - (ii) किसी वस्तु को ऐसी रीति से या स्थिति में नहीं रखेगा या रखने की अनुमित नहीं देगा, जिससे नियम 7.3 में वर्णित दर्पण द्वारा प्राप्त चालक की सीधी या पीछे की दृष्टि में कोई रुकावट आये:

परन्तु खण्ड (ii) पिछली खिड़की पर पर्दा लगे यान पर लागू नहीं होगा, जब इस पर्दे का रात्रि समय उपयोग किया जाता है।

- 8.23. यातायात नियंत्रण संकेतों के पालन का कर्त्तव्य.— मोटर यान का प्रत्येक चालक, जब किसी सार्वजनिक स्थान में यान चला रहा हो, तो ऐसे सार्वजनिक स्थान में यातायात के विनियमन में उस समय लगे किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा उसको दिये गये यातायात नियंत्रण संकेतों का पालन करेगा।
- (2) इस नियम में ''यातायात नियंत्रण संकेत'' से इन नियमों के प्ररूप आर.एस. 8.3 में चित्रित यातायात नियंत्रण संकेत अभिप्रेत है।

- 8.24. Stop sign on road surface.— (1) When any line is painted or on inlaid into the surface of any road at the approach to a road junction or to a pedestrian crossing or otherwise, no driver shall drive a motor vehicle so that any part thereof projects beyond that line at any time when a signal to stop is being given by a Police or Transport Officer or by means of traffic control lights or by a traffic sign.
- (2) A line for the purposes of this rule shall not be less than 5 centimeter in which at any part and shall be either in white, black or yellow.
- 8.25. Traffic signs to be observed.— Every driver of a motor vehicle shall drive the vehicle in conformity with any indication given by a traffic sign, the erection of which is permitted under sub-section (1) of section 116 of the Act.
- 8.26. Loading of public service vehicle on ferry boats.— (a) The driver conductor or other person in-charge of a public service vehicle, shall cause all passengers to alight before embarking the said public service vehicle on any ferry boat, and shall not allow them to take their places again in the vehicle until it has been disembarked.
- (b) Every passenger in a public service vehicle shall, on the request of the driver, conductor or other person in-charge alight from the vehicle with a view to its being embarked on a ferry boat.
- 8.27. Special provision for vehicles plying on hill roads.— (1) The State Government may declare hill roads or ghat roads of the State, from time to time, by a notification in official Gazette.
- (2) No person shall drive a motor vehicle on a ghat or hill road at night, unless authorised to do so by the Registering Authority or local authority:

Provided firstly, that in case it becomes necessary, owing to accident, illness or any similar emergency, to drive a motor vehicle at night on a ghat or hill road for the purpose of obtaining assistance or for any similar purpose, the driver shall, as soon as is reasonably possible, report to the nearest police station his name and the number of the vehicle and the name of the owner, together with such other particulars, as may be required of him by the officer incharge of the police station:

Provided secondly, that if a motor vehicle breaks down on a ghat or hill road and the driver is unable to complete his journey before night fall, he shall draw the motor vehicle to the left side of the road and may there effect the necessary repair, after which he may continue his journey at a speed not exceeding the maximum speed, if any prescribed for such vehicle under section 112 of the Act and in such case he shall further report at the first police station or police outpost at which he may arrive after night fall, his name and the number of his vehicle, his reasons for travelling after night fall:

Provided thirdly, that in any such case as is mentioned in the second proviso to this rule, if there is no police station or police outpost between the place at which it terminates its journey after repair the driver, shall on arrival at his destination, report to the nearest police station his name and the number of his vehicle and the reason for travelling after night fall:

- 8.24. सड़क के धरातल पर ठहरने का चिन्ह.— (1) जब किसी सड़क धरातल पर किसी सड़क—जंक्शन पर पहुंचने पर या पैदल यात्रियों के पार—गमन पर या अन्यथा कोई रेख। रंग से पोत दी गई है या उसमें अन्दर लगा दी गई है, तो कोई चालक मोटर यान को इस प्रकार नहीं चलायेगा, कि उसका कोई भाग किसी समय उस रेखा के आगे निकल जाये, जब ठहरने का संकेत किसी पुलिस या परिसहन अधिकारी द्वारा या यातायात नियंत्रण लाइटों द्वारा या किसी यातायात संकेत द्वारा दिया जा रहा हो।
- (2) इस नियम के प्रयोजनों के लिये कोई रेखा पांच सेन्टीमीटर से कम चौड़ी नहीं होगी और ये सफेद, काली या पीली होगी।
- 8.25. यातायात संकेतों का पालन करना.— मोटर यान का प्रत्येक चालक यातायात संकेतों द्वारा, जिनका निर्माण अधिनियम की धारा 116 की उप—धारा (1) के अधीन अनुझेय है, दिये गये किसी संकेत या सूचना का पालन करते हुए यान चलायेगा।
- 8.26. सार्वजनिक सेवा यान को नावों पर चढ़ाना.— (क) किसी सार्वजनिक सेवायान का चालक, परिचालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति उस सार्वजनिक सेवायान को किसी नाव में चढ़ाने से पहले सब यात्रियों को उतार देगा और उन्हें अपने स्थान तब तक ग्रहण नहीं करने देगा, जब तक वह यान नाव से नीचे नहीं उतार दिया जाता है।
- (ख) किसी सार्वजितक सेवा यान का प्रत्येक यात्री, चालक, परिचालक या अन्य भार साधक व्यक्ति के निवेदन करने पर याने को नाव में चढ़ाने के दृष्टिकोण से उस यान से उतरेगा।
- 8.27. पहाड़ी सड़कों पर चलने वाले यानों के लिये विशेष उपबन्ध.— (1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय—समय पर, राज्य की पहाड़ी सड़कों या घाट—सड़कों की घोषणा कर सकेगी।
- (2) कोई व्यक्ति किसी घाट या पहाड़ी सड़क पर रात्रि में कोई मोटर यान नहीं चलायेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिये उसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत न कर दिया गया हो:

परन्तु प्रथमतः किसी मामले में किसी दुर्घटना, बीमारी या अन्य समान आपातकाल के कारण सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये या अन्य समान प्रयोजन के लिये किसी मोटर यान को रात में घाट या पहाड़ी सड़क पर चलाना आवश्यक हो, तो चालक, जितना शीघ्र उचित रूप से संभव हो सके, निकटतम पुलिस स्टेशन को अपना नाम और यान की संख्या और स्वामी का नाम, अन्य ऐसे विवरण के साथ, जो उससे पुलिस स्टेशन का भार-साधक अधिकारी चाहे, सूचित करेगाः

परन्तु द्वितीयतः यदि कोई मोटर यान घाट या पहाड़ी सड़क पर खराब हो जाता है और चालक रात होने से पहले अपनी यात्रा पूरी करने में असमर्थ है, तो वह मोटर यान सड़क की बायों ओर ले जाकर आवश्यक मरम्मत कर सकेगा, जिसके बाद वह उस गित से, जो अधिकतम गित धारा 112 के अधीन ऐसे यान के लिये विहित हो, अधिक न हो, अपनी यात्रा जारी रख सकेगा और ऐसी दशा में वह पहले पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी पर जहां वह रात्रि होने के बाद पहुंचता है, अपना नाम और उसके यान की संख्या और रात होने के बाद यात्रा करने के उसके कारणों की सूचना देगा।

परन्तु तृतीयतः किसी ऐसे मामले में जैसा कि इस नियम के द्वितीय परन्तुक में वर्णित है, चालक द्वारा मरम्मत करने के बाद और उस स्थान के बीच जहां वह अपनी यात्रा समाप्त करता है यदि कोई पुलिस स्टेशन या चौकी न हो, तो वह अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर निकटतम पुलिस स्टेशन को अपना नाम और अपने यान की संख्या और रात्रि होने के बाद यात्रा करने के कारण सूचित करेगाः

Provided fourthly, that the Registering Authority may delegate to any army officer not below the rank of . Brigadier, the power to issue a special pass to any commissioned military offices, authorising him when travelling on duty, to drive a light motor vehicle on ghat or hill roads by night in cases of an emergent nature.

(3) Notwithstanding anything contained in rule and Central Motor Vehicles Rules, 1989 no person shall drive any motor vehicle on a ghat or hill road, unless all its wheels are fitted with pneumatic tyres, and, in the case of vehicles of more than six tons weight when laden, with twin pneumatic tyres in the driving wheels:

Provided that the Registering Authority may exempt any vehicle belonging to a local authority from the provisions of this rule.

- (4) If the Registering Authority, or any Magistrate or any Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector authorised by the Registering Authority in this behalf, is of opinion that a motor vehicle which is being driven upon a hill road does not in every respect confirm to the provisions of these rules, he nay stop that vehicle and inspect it, and the driver or person incharge of the vehicle shall, in such case, comply with any order which the Registering Authority, the Magistrate, or the Police Officer so authorised may see fit to give for the purpose of preventing danger or inconveience to the public whether by removal of any defect in the motor vehicle or otherwise.
- (5) (a) No motor vehicle shall pass another vehicle travelling in the same direction, except at a place where the road is clearly visible to the driver of the overtaking vehicle for at least 200 metre ahead.
- (b) When two motor vehicles approach each other from opposite directions at a bridge or culvert of a narrow place on a ghat or hill road, the driver of the motor vehicle proceeding in the downward direction shall give way to a vehicle proceeding in the upward direction. When such approach takes place in a dip or level stretch of road the vehicle on the side of the road from which the hill slopes upward shall give way.
- (6) Trailers.— No person shall drive a goods vehicle or heavy motor vehicle, with a trailer attached thereto on a ghat or hill road, without the special written permission of the Registering Authority.
- 8.28. Wearing of protective Head Gear.— Every person driving or riding on motor cycle including any two wheeled motor vehicle i.e. motor cycle, scooter, moped shall while in public place, wear a protective head gear of the specification prescribed by the Bureau of India Standards:

Provided further, that the State Government may from time to time by notification in the official Gazette relax the application of this a provision for a class of driver/rider subject to such conditions as it may deem fit:

Provided further that the State Government may, from time to time by notification in the official Gazette exempt from the provision of this Rule any area or areas of the State as it may deem fit:

Provided also that a period of six months shall be allowed to obtain the protective head gear from the date of the publication of the notification providing for use of such protective head gear under this rule except for the places where this provision is already in force prior to coming in force of the rules.

परन्तु चतुर्थतः रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी सैनिक अधिकारी, जो ब्रिगेडियर की श्रेणी से नीचे का न हो, किसी कमीशनप्राप्त सैनिक अधिकारी को एक विशेष पास जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिससे उसे जब वह कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो, किसी अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में रात्रि में घाट या पहाड़ी सड़क पर हलका मोटर यान चलाने के लिये प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(3) इस नियम और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किसी मोटर यान को घाट या पहाड़ी सड़क पर तब तक नहीं चलायेगा, जब तक इसके पहियों में हवादार टायर न लगे हों और छः टन वजन, जब लदी हो, से अधिक वजन वाले यानों की दशा में उसके चालन-पहियों पर हवादार टायरों का जोड़ा न होः

परन्तु रजिरद्रीकर्ता-प्राधिकारी किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी यान को इस नियम के उपबन्धों से छूट दे सकेगा।

- (4) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, या कोई मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, का यह अभिमत हो कि कोई यान जो पहाड़ी सड़क पर चलाया जा रहा है, इन नियमों के उपबन्धों की हर प्रकार से पालना नहीं करता है, तो वह उस यान को रोक सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में उस यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति ऐसे आदेश की पालना करेगा, जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट या इस प्रकार से प्राधिकृत पुलिस अधिकारी खतरे या जनता की असुविधा को टालने के लिये देना उचित समझे, चाहे वह उस मोटर यान के किसी दोष को दूर करके या अन्यथा हो।
- (5) (क) कोई मोटर यान उसी समान दिशा में जा रहे किसी दूसरे यान को पार नहीं करेगा, सिवाय ऐसे स्थान पर जहां पार करने वाले चालक को कम से कम 200 मीटर आगे की सड़क साफ दिखाई देती हो।
- (ख) जब कोई दो मोटर यान घाट या पहाड़ी सड़क के किसी पुल या रपट या संकड़े स्थान पर विपरीत दिशाओं से एक--दूसरे के पास पहुंचतें हैं, तो नीचे की ओर की दिशा में जाने वाले मोटर यान का चालक ऊपर की ओर की दिशा में आ रहे यान को रास्ता देगा। जहां ऐसी पहुंच किसी सड़क के गहरे या समतल भाग पर होती है, तो वह यान जो सड़क की उस तरफ है, जिस से पहाड़ी ढलान ऊपर की ओर है, रास्ता देगा।
- (6) द्रैलर्स— कोई व्यक्ति किसी मालयान या भारी मोटर यान को जिसके ट्रेलर जुड़ा हुआ है, घाट या पहाड़ी सड़क पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की लिखित विशेष अनुमति के बिना नहीं चलायेगा।
- 8.28. सुरक्षात्मक टोप का पहनना.— किसी मोटर साइकिल, जिसमें कोई दुपहिया मोटर यान अर्थात्—मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड सम्मिलित है, को चलाने या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, भारतीय मानक संस्थान द्वारा विहित विनिर्दिष्टयों का सुरक्षात्मक टोप सिर पर पहनेगाः

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस नियम की प्रयोज्यता से किसी भी श्रेणी के चालक/सवार के लिये, ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, छूट दे सकेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के अधीन ऐसे सुरक्षात्मक टोप के उपयोग के लिये उपबन्ध करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से छः माह की अविध सुरक्षात्मक टोप प्राप्त करने के लिये दी जायेगी, सिवाय उन स्थानों के जहां पर उपबन्ध इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले से ही लागू है।